FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (पाली)

......कालू खां...... बनाम ......बाबू खां......

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. ......14...... / सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
वकील वादी उपस्थित ।	
वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा ...53, 187, 188... RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या ...03... के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक ...31/3/22... को पेश हो।	71 / 09/03/22 Reg. Ad. 72 / 09/03/22
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)	
31.3.22 पत्रावली पेश हुई प्रति० सं० 1 व 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए है प्रति० सं० 2 को बार-बार सम्मन करने के बावजूद तामील नहीं हुई परन्तु बाद तामील सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं रहे है अतः वकील द्वारा कोई कार्य स्थगित रखते हुए पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/5/22 को पेश होवे	
21.4.22 वकील वादी उपस्थित वादी उपस्थित वकील मय वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली दिनांक 10/5/22 से तलब करने बाबत का पेश किया वकील वादी मय वादी कालूखाँ ने उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] किया है कि "श्रीमान के समक्ष दरखास्त, [illegible] का प्रस्तुत कर रखा है जिसकी तारीख पेशी दिनांक 10/5/22 को है वादी ने आरोप का वाद परिवर्तित विवाद स्थगित करने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये पत्रावली	[illegible] वादी [illegible] (आबिद 21/4/22)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:54:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पर सुनवाई हेतु कालूराम बनाम [illegible] की पत्रावली दिनांक 10/5/22 के आज ही तलब फरमाकर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है अतः पत्रावली तलब की गई वादी अधिवक्ता मय वादी कालूराम ने प्रार्थना पत्र बाबत दावा परित्याग विड्रॉल खारिज करने बाबत का पेश किया श्रीमान. हाँ वादी मय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि" वादी की ओर से वाद श्रीमान के समक्ष बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व दिलाने कब्जा का प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी अब आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है तथा अपना वाद भी चलाना नहीं चाहता है इसलिये वादी का वाद परित्याग विड्रॉल खारिज फरमाने का निवेदन किया है पत्रावली मय प्रार्थना पत्र बाबत दावा परित्याग विड्रॉल खारिज करने बाबत का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी कालूराम दावा अन्तर्गत धारा 53, 187, 188 RTA 1955 मे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते है तथा अपना वाद परित्याग विड्रॉल खारिज करने का निवेदन किया है वादी अधिवक्ता मय वादी ने दावा विड्रॉल करने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,187,188 RTA 1955 परित्याग विड्रॉल खारिज किया जाकर पत्रावली मे प्रतिवादी द्वारा काउन्टर वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः मूल वाद परित्याग विड्रॉल खारिज होकर पत्रावली फैसलें शुमार होकर नम्बर [illegible] तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहेगी। आदेश पारित हुआ है SDM

Signature Not Ver
Digitally signed by Ma
Seenver
Date: 2022.05.19 11:5
Reason: SelfAttested